

संख्या: पी0सी0एच0-एच0सी0(10)1/2015(एफ0एफ0सी0)- 60361-63676
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.

प्रेषित:

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त ग्राम पंचायतें
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009 दिनांक: - 4-10 -, 2017

विषय: 14वें वितायोग के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या पी0सी0एच0एच0सी0(10)1/2015 (एफ0एफ0सी0)-37299-388 दिनांक 31.12.2015 व सम संख्यक पत्र संख्या 16835-20150 दिनांक 22.04.2016 तथा पत्र संख्या 27441-530 दिनांक 27.05.2016 के क्रम में, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि 14वें वितायोग के अर्न्तगत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को उक्त पत्रों के अर्न्तगत जारी मार्गदर्शिका के अतिरिक्त भविष्य में "प्रत्येक पंचायत में स्वच्छता बनाये रखने की दृष्टि से पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक गांव (hamlet) में कूड़ादान (dustbin) स्थापित करने पर भी व्यय किया जा सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में 14वें वितायोग की अनुदान राशि व्यय करते समय इन आदेशों को भी ध्यान में रखना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9।

संख्या: पी0सी0एच0-एच0सी0(10)1/2015(एफ0एफ0सी0)- 63673-81 दिनांक: - 4-10 -2017
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव पंचायती राज मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके डी0ओ0 संख्या एम-11011/12/2017-एफडी दिनांक 08 सितम्बर 2017 के संन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, बैजनाथ तथा थुनाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. पंचायत सूचना अधिकारी (विधि कक्ष) राज्य मुख्यवास को सूचनार्थ।
4. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9।